

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ.4(ई)(पी-300)/अलेसे-II/59-65

दिनांक :- 10/07/25

आदेश

विभागीय आख्यात्मक आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(पी-300)/अलेसे-II/1664 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2025 की अनुपालना में श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सलेअ-II का पदस्थापन उपकोष, सलूमबर के स्थान पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विधि विभाग, बांसवाड़ा में सलेअ-II के रिक्त पद पर किया गया है।

अतः श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सलेअ-II को निदेशालय स्तर से आज दिनांक 10.07.2025 को मध्याह्न पश्चात् तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विधि विभाग, बांसवाड़ा में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(पी-300)/अलेसे-II/59-65

दिनांक :- 10/07/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
5. श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सलेअ-II कार्यालय पंचायत समिति, घाटोल, बांसवाड़ा।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)